

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3214

जिसका उत्तर 18.12.2025 को दिया जाना है
एडीएस को अनिवार्य रूप से लागू करना

3214. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जीवन-रक्षक एडीएस प्रणालियों जैसे डीडीडब्ल्यूएस (एआईएस-184), एईबीएस (एआईएस-162) और एलडीडब्ल्यूएस (एआईएस-188) को अनिवार्य बनाने के समय एम1 श्रेणी (निजी कारों) को शामिल न करने का क्या कारण है जबकि ये प्रणालियाँ सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने में सहायक हैं;

(ख) क्या सरकार एम2, एम3, एन2 और एन3 श्रेणियों के लिए अक्टूबर 2025 की मौजूदा समय-सीमा से पहले विभिन्न सुरक्षा प्रावधानों को अनिवार्य करने हेतु अंतिम अधिसूचना जारी करेगी, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एडीएस जैसे वीएसएफ, एबीएस और एलडीडब्ल्यूएस को अनिवार्य रूप से लागू करने के कारण वाहन की लागत में होने वाली बड़ी वृद्धि का भार वहन करने हेतु परिवहन ऑपरेटरों को सरकार द्वारा क्या विशिष्ट आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं; और

(घ) सड़क सुरक्षा उद्देश्यों को पूर्ण रूप से हासिल करने हेतु देश में मौजूदा वाहनों में उन्नत सुरक्षा प्रणालियों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रेट्रोफिटमेंट नीति लागू करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्रथम चरण में एम2, एम3, एन2 और एन3 श्रेणियों के वाहनों के लिए एडीएस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। तकनीकी तत्परता, लागत आकलन और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समय आदि के मूल्यांकन के आधार पर, इस तकनीक को बाद में एम1 श्रेणी के वाहनों (कार, एसयूवी आदि) तक विस्तारित किया जा सकता है।

(ख) भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना सा.का.नि. 834(अ) दिनांक 11 नवंबर, 2025 के माध्यम से एम2, एम3, एन2 और एन3 श्रेणियों के वाहनों के लिए सक्रिय सुरक्षा सुविधाओं जैसे एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एंड्योरेंस ब्रेकिंग सिस्टम, वाहन स्थिरता फंक्शन (वीएसएफ), लेन प्रस्थान चेतावनी प्रणाली (एलडीडब्ल्यूएस), चालक उर्नीदापन एवं ध्यान चेतावनी प्रणाली, ब्लाइंड स्पॉट सूचना प्रणाली और मूविंग ऑफ सूचना प्रणाली को अधिसूचित किया है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
